



## Government Policies And Implementation For Sugarcane Production In Western Uttar Pradesh: A Review

**Prashant Kandari and Rajeev Kumar**

Department of Economics, H N B Garhwal University Srinagar Garhwal-246174, Uttarakhand

\*Corresponding Author Email: [kandari1980@gmail.com](mailto:kandari1980@gmail.com)

Received: 17.10.2019; Revised: 19.11.2019; Accepted: 2.12.2019

©Society for Himalayan Action Research and Development

**Abstract:** India is the original place of sugarcane production. Sugar cane is used to prepare sugar and its other forms in India. In 1920, the then Governor General of India established the Indian Sugar Committee, wishing a bright future for the business of sugar. In the year 1930, a Tariff Board was established on the recommendation of the sub-Committee of the Research Council of India. In this, the Government of India was recommended to protect the sugar industry. Though in Pratappur, UP, India's first sugar mill was established, yet the farmers were facing numerous problems due to lack of installed system. The Government of India passed Sugar cane act 1934 and through which authorised state Governments to control prices of sugar manufactured by different sugar mills. In Uttar Pradesh, the Department of Sugar Development was established in 1935. The paper discusses the policies and their implementation in the field of sugar production.

**Keywords:** Sugar cane, Industry, Government Policy, Implementation, Analysis

## पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन हेतु सरकार की शासकीय नीतियां एवं परिपालन: एक समीक्षात्मक अध्ययन

प्रशान्त कण्डारी एवं राजीव कुमार  
अर्थशास्त्र विभाग, बिडला परिसर, हे० न० ब० ग० विवि श्रीगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड 246174

\*Corresponding Author Email: [kandari1980@gmail.com](mailto:kandari1980@gmail.com)

Received: 17.10.2019; Revised: 19.11.2019; Accepted: 2.12.2019

©Society for Himalayan Action Research and Development

### सारांश

गन्ने का मूल स्थान भारत वर्ष है। प्राचीन काल से ही भारत में गन्ना, गुड़ व राव बनाने के काम में आता था। सन 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने चीनी व्यवसाय के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हुए “इंडियन शुगर कमेटी” की स्थापना की थी। सन 1930 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गन्ना उप समिति की सिफारिश पर एक “टैरिफ बोर्ड” की स्थापना की गई, जिसने भारत सरकार से चीनी उद्योग को आरंभ के 15 वर्षों के लिए संरक्षण देने



की सिफारिश की गई। जिस कारण से भारत में सन 1931 में चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी। परंतु गन्ना विक्रय की कोई संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना कृषकों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। भारत सरकार द्वारा पारित “शुगरकेन एक्ट 1934” द्वारा प्रदेशीय सरकारों को किसी क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। उत्तर प्रदेश में सन 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की सहायता की दृष्टि से “शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938” लागू किया गया।

**प्रस्तावना—** गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसल है जो उत्पादन व उपभोग दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फसल है तथा भारत वर्तमान में विश्व में प्रथम स्थान पर गन्ना उत्पादन कर रहा है। भारत में कुल उत्पादित चीनी का लगभग 80 प्रतिशत भाग गन्ने से तैयार किया जाता है और चीनी का 20 प्रतिशत भाग चक्कन्दर से तैयार किया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर गन्ने का उत्पादन कर रहा है और भारतीय आय में लगभग 2.5 प्रतिशत भाग की भागीदारी अकेले ३०प्र० राज्य निभा रहा है। भारत में कृषि उत्पादन हेतु कृषक मौसम पर निर्भर है जिससे उसको अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। भारत में कृषकों के पास अति छोटी भूमि जोते हैं जिससे उनको उत्पादन बढ़ाने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अधिक ऋण का बोझ, अधिक ब्याज दर, तथा ऋण लेने में भी अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी ३०प्र० में गन्ना कृषक गन्ना उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा सरकार कृषकों को समय-२ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाये उपलब्ध कराती है इसलिए सरकार कि उन नीतियों का अध्ययन करना अति आवश्यक है।

- उद्देश्य :—**
- 1 सरकार द्वारा दी जाने वाली शासकीय नीतियों का अध्ययन करना।
  - 2 गन्ना उत्पादन में शासकीय नीतियों की सहायता का मुल्यांकन ज्ञात करना।

**शोध विधि :—** शोध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के दो जनपदों हापुड़ व मेरठ को लिया गया है। जनपद हापुड़ व मेरठ में क्रमशः 4 व 12 विकास खण्ड हैं। जिनमें से दैव न्यादर्श विधि से हापुड़ जिले के 2 विकास खण्ड तथा मेरठ जनपद से 4 विकास खण्डों को लिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 गाँव लिये गए हैं और प्रत्येक गाँव से 30 कृषक परिवारों का चयन किया गया है। प्रत्येक स्तर पर न्यादर्श का चुनाव दैव न्यादर्श विधि के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध में कुल 360 कृषक परिवारों का अध्ययन किया गया है।

शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक आकड़ों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक आकड़ों का संकलन सम्बन्धित पुस्तकों, गैर सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, एन०जी०ओ० रिपोर्ट, सम्बन्धित व्यक्तियों के अनुभव आदि से संकलित किया गया है।

**अध्ययन का महत्व—** प्रस्तुत अध्ययन से वस्तुतः गन्ना विकास को सापेक्ष रूप में समझने एवं उत्पादन में बाधक तत्वों को दूर करने हेतु नये सुझावों व उपायों के निर्माण में सहायता मिलेगी व पश्चिमी ३० प्र० में गन्ना कृषि के सन्दर्भ में विकास व नयी नीतियों के आयामों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। जिससे कृषकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से कृषि उत्पादन हेतु ऋण प्राप्ति, ब्याज दर और इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए नियोजित नीतिगत ढाचा बनाने हेतु सहायता मिलेगी तथा उनकी समस्याओं के निदानों हेतु सुझाव दिया जायेगा।

**गन्ना उत्पादन हेतु सरकार द्वारा शोध क्षेत्र में चलाई जा रही शासकीय नीतिया—**

गन्ना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की नीतियों को क्षेत्र में चला रही है और गन्ना कृषक परिवारों को आर्थिक व सामाजिक लाभ देने की लगातार प्रयास कर रही है।



- खाद, दवाई व यंत्र वितरण योजना।
- कृषकों को समिति ऋण वितरण योजना।
- नाबार्ड से प्राप्त धनराशियों के वितरण की योजना।
- अनुदान वितरण की योजना।
- लाभांश वितरण की योजना।
- पौधशाला वितरण की योजना।
- गन्ना बीज वितरण की योजना।
- कृषकों के गन्ने का सर्वे सट्टा अतिरिक्त सट्टा एवं पर्ची वितरण योजना।

गन्ना उत्पादन हेतु सरकार शोध क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नीतियों को चला रही है जैसे खाद, दवाई व यंत्र वितरण योजना, कृषकों को समिति ऋण वितरण योजना, नाबार्ड से प्राप्त धनराशियों के वितरण की योजना, अनुदान वितरण की योजना, लाभांश वितरण की योजना, पौधशाला वितरण की योजना, गन्ना बीज वितरण की योजना कृषकों के गन्ने का सर्वे सट्टा अतिरिक्त सट्टा एवं पर्ची वितरण योजना आदि योजनाओं के द्वारा सरकार गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है।

1. **गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियों द्वारा लाभान्वित कृषक परिवार** :— प्रस्तुत तालिका में सरकारी द्वारा क्षेत्र में चलायी जाने वाली शासकीय नीतियों से लाभान्वित होने वाले गन्ना कृषकों को दर्शाया गया है। कि किस प्रकार से गन्ना कृषक परिवार सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं से अपनी फसलों का उत्पादन को बढ़ाने में कुछ सीमा तक सफल हो रहे हैं। जबकि शोध क्षेत्र के अन्तर्गत अभी भी कुछ कृषक परिवारों को उपरोक्त योजनाओं का किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

तालिका 1.1 में सरकार की शासकीय नीतियों से लाभान्वित तथा लाभ न प्राप्त करने वाले कृषक परिवारों को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 38 प्रतिशत कृषक परिवारों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है तथा 62 प्रतिशत कृषक परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में कुल 62 प्रतिशत कृषक परिवारों को सरकार की नीतियों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार क्षेत्र में गन्ना कृषक परिवारों को सरकार की गन्ना उत्पादन हेतु नीतियों के प्रति जागरूक करने की अति आवश्यकता है।

#### तालिका 1. गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियों द्वारा लाभान्वित कृषक परिवार

गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियों द्वारा लाभान्वित कृषक परिवार		
लाभान्वित कृषक परिवार	उत्तादाताओं की संख्या	प्रतिशत
लाभ	136	37.8
नहीं	224	62.2
कुल संख्या	360	100

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण (2016–2017)

2. **गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियों के प्रकार** :— इस तालिका में सरकार द्वारा गन्ने के उत्पादन हेतु शोध क्षेत्र में बीज, उर्वरक खाद, रसायन खाद, आदि योजनाओं से लाभान्वित कृषक परिवारों को दर्शाया गया है कि गन्ना मिल व सरकार के द्वारा इन नीतियों का किस प्रकार से गन्ना कृषक परिवारों को लाभ मिल रहा है और कितने



ऐसे कृषक परिवार हैं जिन्हे सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तालिका 1.2 में गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु गन्ना कृषक परिवारों के लिए बीज, उर्वरक खाद, रसायन खाद, आदि योजनाओं के आवंटन को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के अंतर्गत कृषक परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगभग 10 प्रतिशत कृषक परिवारों को गन्ना बीज, 11 प्रतिशत कृषक परिवारों को उर्वरक खाद, लगभग 4 प्रतिशत गन्ना कृषक परिवारों को कृषि रसायन तथा शोध क्षेत्र में कुल 17 प्रतिशत कृषक परिवारों को उपरोक्त सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शोध क्षेत्र में लगभग कुल 48 प्रतिशत कृषक परिवारों को किसी भी योजना का लाभ मिल रहा है जबकि शोध क्षेत्र में 58 प्रतिशत कृषक परिवारों को योजनाओं के विषय में जानकारी ही नहीं है और ना ही इन कृषक परिवारों को उपरोक्त सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का कोई भी लाभ मिल रहा है।

## तालिका 2. गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियां

गन्ना उत्पादन हेतु सरकारी नीतियों के प्रकार			
क्रम संख्या	सरकारी नीतियों के प्रकार	उत्तादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बीज	35	9.7
2	उर्वरक खाद	40	11.1
3	रसायन	14	3.9
4	उपरोक्त सभी	61	16.9
	कुल लाभान्वित कृषक	150	41.7
	कृषक परिवार जिन्हे लाभ नहीं मिल रहा है	210	58.3
	कुल संख्या	360	100

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण (2016–2017)

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मात्र 42 प्रतिशत कृषक परिवारों को मिल रहा है तथा शोध क्षेत्र 58 प्रतिशत कृषक परिवारों को योजनाओं के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है और ना ही इन कृषक परिवारों को उपरोक्त सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का कोई भी लाभ मिल रहा है। इस प्रकार शोध क्षेत्र में गन्ना कृषक परिवारों को सरकार व गन्ना मिल द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के विषय में जागरूक करने की अति आवश्यकता है।

3. सरकारी योजनाओं का जातिवार वितरण :— शोध क्षेत्र में जातियों में विभिन्नता होने के कारण से बहुत सी जातियों में सरकार व गन्ना मिल द्वारा चलायी जाने वाली नीतियों का लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जातिगत दर्शाया गया है कि किस जाति क्षेत्र में सरकारी नीतियों का अधिक व कम लाभ मिल पा रहा है तथा किस जाति विशेष के अंतर्गत किस योजना का लाभ पहुँच ही नहीं रहा है।

निम्नलिखित तालिका में सरकार व गन्ना मिल के द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु कृषक परिवारों को दी जाने वाली योजनाओं के लाभ को जातिगत दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गन्ना बीज उत्पादन योजना का 26 प्रतिशत सामान्य जाति, 21 प्रतिशत पिछड़ी जाति, व 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति को लाभ प्राप्त हो रहा है। उर्वरक खाद योजना का लाभ 23 प्रतिशत सामान्य जाति, 26 प्रतिशत पिछड़ी जाति, और 29 प्रतिशत अनुसूचित जाति को लाभ मिल रहा है। कृषि रसायन योजना का 6 प्रतिशत सामान्य जाति, 10 प्रतिशत पिछड़ी जाति और 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति को लाभ मिल रहा है तथा उपरोक्त सभी योजनाओं का कुल 15 प्रतिशत सामान्य जाति, 29 प्रतिशत पिछड़ी जाति व 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है।



### तालिका 3. सरकारी योजनाओं का जातिवार वितरण

सरकारी योजनाओं का जातिवार वितरण

	जतियां				कुल लाभार्थियों की संख्या
		सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	
सरकारी नीतियों के प्रकार	बीज	9 (26.47)	14 (20.59)	12 (25)	35
	उर्वरक खाद	8 (23.52)	18 (26.47)	14 (29.17)	40
	रसायन	2 (5.88)	7 (10.29)	5 (10.41)	14
	उपरोक्त सभी	15 (44.11)	29 (42.64)	17 (35.41)	61
कुल लाभार्थियों की संख्या		34	68	48	150

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण (2016–2017)

अध्ययन से स्पष्ट है कि सभी योजनाओं का 44 प्रतिशत सामान्य जाति, 43 प्रतिशत पिछड़ी जाति, व 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति के कृषक परिवारों को लाभ मिल रहा है। कुल योजनाओं के लाभ में सामान्य जाति के कृषक परिवारों का प्रतिशत अन्य जातियों से कम है। अतः शोध क्षेत्र में गन्ना कृषकों को जागरूक व सरकार और गन्ना मिल द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के लाभ के आवंटन को उचित रूप से करने की आवश्यकता है।

4. **गन्ना मिल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं** :— शोध क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हेतु गन्ना मिल के द्वारा कृषक परिवारों को कुछ विशेष प्रकार की नीतियां जैसे गन्ना बीज, उर्वरक खाद, रसायन खाद, गन्ना उत्पादन हेतु भूमि पर ऋण, आदि उपलब्ध करायी जा रही है। निम्नलिखित तालिका में गन्ना कृषकों को मिल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न नीतियों के लाभ को कृषक परिवारों में दर्शाया गया है।

4. **गन्ना मिल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं**

गन्ना मिल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं			
कम संख्या	नीतियों के प्रकार	उत्तादाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	गन्ना बीज	69	19.2
2	उर्वरक खाद	63	17.5
3	रसायन खाद	57	15.8
4	भूमि पर ऋण	35	9.7
5	उपरोक्त सभी सुविधायें	105	29.2
6	कुल लाभार्थि कृषक	329	91.4
7	संवय कृषि करने वाले कृषक	31	8.6
कुल कृषक परिवारों की संख्या		360	100

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण (2016–2017)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 19 प्रतिशत गन्ना कृषक परिवारों को गन्ना बीज, 17 प्रतिशत कृषक परिवारों को उर्वरक खाद, 16 प्रतिशत गन्ना कृषक परिवारों को कृषि रसायन, लगभग 10 प्रतिशत कृषक परिवारों को भूमि पर ऋण तथा 29 प्रतिशत कृषक परिवार उपरोक्त सभी सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो पा रहे हैं तथा सभी योजनाओं का भिन-भिन प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाले सभी कृषक परिवार मात्र 91 प्रतिशत हैं जबकि शोध क्षेत्र



में मात्र 8.6 प्रतिशत कृषक परिवार ऐसे हैं जो गन्ना मिल द्वारा मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि गन्ना मिल द्वारा प्रदान की कराई जा रही सुविधाओं का लाभ 91 प्रतिशत कृषक परिवारों को मिल रहा है। और लगभग 9 प्रतिशत कृषक परिवारों को इस सुविधाओं की जानकारी नहीं है या वे स्वयं कृषि करने में सक्षम हैं परन्तु ये कृषक परिवार किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं।

**निष्कर्ष :-** शोध क्षेत्र में गन्ना कृषकों की समस्याओं का अध्ययन किया गया है तथा अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। सरकार व गन्ना मिल द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

- शोध क्षेत्र में सभी योजनाओं से मात्र 37.8 प्रतिशत कृषक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। 62 प्रतिशत कृषक परिवारों को योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं है।
- सरकार द्वारा प्रदान कराई जाने वाली योजनाओं से मात्र 17 प्रतिशत कृषक परिवार लाभान्वित हुए हैं।
- सरकार द्वारा प्रदान कराई जाने वाली योजनाओं से सबसे अधिक पिछड़ी जाति से गन्ना कृषक परिवार 45 प्रतिशत लाभान्वित हुए हैं और सबसे कम अनुसूचित जाति से मात्र 35 प्रतिशत कृषक परिवार।
- शोध क्षेत्र में गन्ना मिल द्वारा प्रदान कराई जाने वाली योजनाओं से 91 प्रतिशत कृषक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं तथा 9 प्रतिशत कृषक परिवारों को योजनाओं की जानकारी नहीं है।

**सुझाव :-** वर्तमान शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र में गन्ना उत्पादन हेतु सरकार व गन्ना मिल द्वारा विभिन्न योजनाये उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें गन्ना मिल द्वारा योजनाओं का लगभग 38 प्रतिशत व सरकार द्वारा योजनाओं का कुल 17 प्रतिशत कृषक परिवारों को ही लाभ मिल पा रहा है अतः शोध क्षेत्र में गन्ना कृषक परिवारों को सरकार व गन्ना मिल के द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने की अति आवश्यकता है। उपरोक्त सभी नीतियों/योजनाओं का वितरण सभी जातियों में समान रूप से करने की आवश्यकता है तथा योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक सभी गन्ना कृषक परिवारों तक पहुँचाने के तरीके को सरल व सबकी पहुँच में लाने की आवश्यकता है। जिससे गन्ने के उत्पादन को अधिक बढ़ाने में गन्ना कृषकों की सहायता की जा सके।

### संदर्भ सूची

- अग्रवाल एन०एल० : भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र (1983), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- कुमार एस, 2003 गन्ना विश्लेषण, दीप और दीप प्रकाशन दिल्ली।
- गन्ना विकास भवन मेरठ।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र मेरठ।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र मवाना।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र सरधना।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र सिम्बावली।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र धौलाना।
- गन्ना विकास परिक्षेत्र हापुड।
- पाण्डे ए०पी० 2007, ग्रामीण भारत का गन्ना उद्योगों में योगदान।
- सनाल एन (2008) भारत में गन्ना उत्पादन योजना।
- संयुक्त कृषि विकास मण्डल मेरठ।
- सिह एस० पी०, 2007, उ०प्र० में चीनी मीलों का आर्थिक आंकलन।
- [www.gannavikasbhavan](http://www.gannavikasbhavan.com) Lucknow up